



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 20.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 03 मामलों में कुल 03 अभियुक्तों को कारावास व कुल 18.7 हजार रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में **अलग-अलग 03 मामलों में कुल 03 अभियुक्तों को कारावास व कुल 18 हजार 700 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0-100/04 धारा 279/338/304ए/427 भादवि के अभियुक्त श्रीकृष्ण पुत्र बाबूराम निवासी पूरेसाहू का पूरवा थाना खण्डासा जनपद अयोध्या को 01 वर्ष के साधारण कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना बबेरु पर पंजीकृत मु0अ0सं0-70/12 धारा 323/34/308/34/504 भादवि के अभियुक्त पप्पू उर्फ सदाशिव पुत्र रामचरन निवासी मुरवल थाना बबेरु जनपद बांदा को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 07 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना बिसंडा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-244/09 धारा 279/337/338 भादवि के अभियुक्त पप्पू पुत्र भानू निवासी बल्लान थाना अतर्रा जनपद बांदा को 1700/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।